

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

डॉ. वी. के. सिंह जी ।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2020, जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एवी/28060/4/2018-एसडीआईटी(ईआर)-एमओसीए में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5372/17/21]

- (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वित्त संवर्ग (उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2020 जो 04 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे ।

- (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) चौथा संशोधन नियम, 2015 जो 12 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1370(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 जो 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5373/17/21]

- (4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.3092(अ) जो 2 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के किलोमीटर 229/2 से 243/6 किलोमीटर तक

रीवा बाईपास की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (दो) का. आ. 3166 (अ) जो 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 46) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 8.310 (विद्यमान किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 8.310) तक और डिजाइन किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 61.500 (विद्यमान किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 63.000) तक ओबेदुल्लागंज से ईटारसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (तीन) का. आ. 3358 (अ) जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-46) के डिजाइन किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200 (विद्यमान किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200) तक गौहरगंज से भोपाल खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (चार) का. आ. 3412 (अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 75/76 के डिजाइन किलोमीटर 124.732 से किलोमीटर 162.132 तक झांसी-खजुराहो खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-39) के किलोमीटर 57.936 से किलोमीटर 74.000 तक बमीठा-सतना खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (पांच) का. आ. 3459 (अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354इ के डिजाइन किलोमीटर

0.000 से किलोमीटर 50.885 तक डबवाली-सितुगुन्नो-अबोहर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छह) का. आ. 3506 (अ) जो 26 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 86.199 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (रूपनगर की ओर) के किलोमीटर 0.445 भाग तक चंडीगढ़ लुधियाना खंड की चार और अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सात) का. आ. 3589 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 6) के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 360.000 से किलोमीटर 422.700 (विद्यमान चैनेज किलोमीटर 359.310 से किलोमीटर 423.680 तक चिखाली-तरसोड खंड के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ) में संशोधन किए जाने के बारे में हैं ।

(आठ) का. आ. 3590 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-219) के डिजाइन किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.040 (विद्यमान किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.680) तक पलामानेरू से कृष्णागिरी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(नौ)

का. आ. 3616 (अ) जो 3 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राज्य राजमार्ग 107) के डिजाइन किलोमीटर 15.320 से किलोमीटर 85.204 (राज्य राजमार्ग 107 के विद्यमान किलोमीटर 15.700 से किलोमीटर 81.400) तक गुंडुगोलानू-देवारापल्ली-कोवुरु खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दस)

का. आ. 3620 (अ) जो 6 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के डिजाइन किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.826 (विद्यमान किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.800) तक लखीमपुर-सिसैया खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(ग्यारह)

का. आ. 3654 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के किलोमीटर 380.000 से किलोमीटर 440.000 तक पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बारह) का. आ. 3655 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के विस्तार के मिहोना से लाहर से दबोह खंड के डिजाइन किलोमीटर 2.800 से

किलोमीटर 10.955 और डिजाइन किलोमीटर 17.335 से किलोमीटर 36.540 और दबोह से भंदेर से उत्तर प्रदेश सीमा खंड के डिजाइन किलोमीटर 40.230 से किलोमीटर 70.525 और डिजाइन किलोमीटर 76.900 से किलोमीटर 89.860 तक परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेरह) का. आ. 3759 (अ) जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 की हुबली-धारवाड़ बाईपास की परियोजना के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2414(अ) में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना में संशोधन के बारे में है ।

(चौदह) का. आ. 3955 (अ) जो 14 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 78) मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा से सूरजपुर खंड तक डिजाइन किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 323.100 (विद्यमान किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 331.000) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पंद्रह) का. आ. 3965 (अ) जो 25 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के किलोमीटर 536.000 से किलोमीटर 430.100 (लंबाई 105.900 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली

खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सोलह) का. आ. 4074 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 731 और नया राष्ट्रीय राजमार्ग-31) के डिजाइन किलोमीटर 209.230 से किलोमीटर 272.590 तक (विद्यमान किलोमीटर 205.000 से किलोमीटर 263.000 तक) सुलतानपुर-वाराणसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्रह) का. आ. 4211 (अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1) के किलोमीटर 387.100 से किलोमीटर 456.100 तक जालंधर से अमृतसर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अठारह) का.आ. 4212(अ) जो 12 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168 के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 42.420 किलोमीटर तथा 43.250 डिजाइन किलोमीटर से 68.174 किलोमीटर तक थराड-धनेरा-पंथवाड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उन्नीस) का.आ. 4213(अ) जो 12 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-334ख के 0.000 किलोमीटर से 44.800 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश/हरियाणा

सीमा से रोहना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बीस) का.आ. 4214(अ) जो 12 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-59क) के 129.000 डिजाइन किलोमीटर से 271.400 किलोमीटर तक के खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्कीस) का.आ. 4497(अ) जो 28 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168क के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर (मौजूदा 0.00 किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर) तक संचोरे से धनेरा से दीसा रोड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बाईस) का.आ. 4588(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (नया एचएच-25) के 0.000 किलोमीटर से 109.655 किलोमीटर (मौजूदा चेनेज/0.00 किलोमीटर से 111.000 किलोमीटर) तक बार-बिलारा-जोधपुर खण्ड की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तेईस) का.आ. 4593(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-27 के 589.600 किलोमीटर से 536.000 किलोमीटर (लम्बाई 53.600 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौबीस) का.आ. 4765(अ) जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एचएच-44) के 546.420 डिजाइन किलोमीटर से 653.770 किलोमीटर तक लखनडोन से मोहगांव से खवासा से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 5374/17/21]

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.क.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अधिसूचना सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है ।

(तीन) का.आ. 3627(अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 5375/17/21]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (2) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5376/17/21]

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5377/17/21]

- (3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5378/17/21]

(4) (एक) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से

2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5379/17/21]

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली) नियम, 2021 जो 1 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5380/17/21]

(7) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (कामकाज का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं.01/01/2020-डीवीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5381/17/21]

(8) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 जो 16 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5382/17/21]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5383/17/21]

- (3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5384/17/21]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5385/17/21]

- (2) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5386/17/21]

- (3) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5387/17/21]

- (4) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष

2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5388/17/21]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) :
अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5389/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 5390/17/21]

(4) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 3956(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज- । के 'जीरो माइल' मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'जीरो माइल फ्रीडम पार्क' किए जाने के बारे में है ।
- (दो) का.आ. 4447(अ) जो 26 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर- । और कॉरिडोर- । । के संरेखण के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT 5391/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER. BISHWESWAR TUDU): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2020-2021.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5392/17/21]

*m07

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5393/17/21]

- (2) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए

विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5394/17/21]
